



राजस्थान राज्य सूचना आयोग
ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड,
जयपुर (फोन एवं फैक्स न. 0141-2719136)

क्रमांक पं. 6 ()/रा.सू.आ./संस्था/सलाहकार/2021/3186-92 दिनांक:- 22-10-2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सलाहकारी सेवाओं (कन्सलटेन्सी सर्विसेज) हेतु सलाहकारों (कन्सल्टेन्टस) के सूचीकरण के लिये कार्यालय पत्रांक 2304 दिनांक 06.08.2021 द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) जारी की गई थी। सलाहकारों के सूचीकरण हेतु गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित आवेदकों में से सलाहकार के पैनल में प्रतीक्षा सूची में रखे गये श्री प्रकाश चन्द चौधरी, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को परिशिष्ट-II में अंकित शर्तों पर 31.03.2022 तक आयोग के कोर्ट नं. 2 में सलाहकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति प्रदान जाती है, जो भविष्य में आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकती है। परिशिष्ट-II के बिन्दु संख्या 5 (सी) के अनुसार कन्सलटेन्ट की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी (non official) प्रकृति की है तथा संतोषजनक सेवा के अभाव में सलाहकार की नियुक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण दर्शाए निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त नियुक्त सलाहकार आयोग कार्यालय में आगामी सात दिवस में स्वयं की उपस्थिति देंगे व सेवा शर्तों के संबंध में रुपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करेंगे।


(प्रियंका गोस्वामी)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त-द्वितीय।
3. रजिस्ट्रार कम विशेषाधिकारी।
4. श्री प्रकाश चन्द चौधरी, कन्सलटेन्ट।
5. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, आयोग।
6. प्रोग्रामर को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को उपापन पोर्टल व आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली


सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर